सिदो–कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका

निविदा प्रपत्र

प्रयुक्त उत्तर पुस्तिकाओं की रद्दी के विक्रय हेतु निविदा।

मूल्य रूपये – 1000/–

निविदा बेचने की अंतिम तिथि	–	दिनांक 20/09/2016 दोपहर 2:00 बजे तक।
निविदा प्राप्ति की तिथि	–	दिनांक 21/09/2016 दोपहर 2:00 बजे तक।
निविदा खुलने की तिथि	–	दिनांक 21/09/2016 अपराह्न 3:00 बजे।
धरोहर राशि 50000/– नकद/बैंक ड्राफ्ट द्वारा जो कुलसचिव, सि.का.मु.वि.वि., दुमका के पक्ष में देय हो।		

1. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व ……
   डाक का पूरा पता ……
2. दूरभाष नं0 अ – प्रतिष्ठान ……
   ब – निवास ……
3. आर.एस.टी./(रजिस्ट्रेशन की प्रति संलग्न करें) ……
   सी.एस.टी./टिन नम्बर ……
4. प्रोपराइटर/अधिकृत प्रतिनिधि का नाम ……
   जिससे सम्पर्क किया जा सके ……
5. पैन नम्बर (छायाप्रति संलग्न करें) ……
6. क्या निविदादाता फर्म का कागज/कागज ……
   की लुगदी बनाने का स्वयं का कारखाना है ……
   यदि हाँ तो उसकी क्षमता एवं वार्षिक ……
   टर्न ऑवर का विवरण अंकित करें। ……

आईटम का विवरण	दर प्रति क्विंटल
विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में काम में ली गयी उत्तर पुस्तिकाएँ। जिनका बोरों सहित वजन लगभग 200 क्विंटल है। (दर प्रति क्विंटल बोरों सहित दी जानी है।)	

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मुहर

प्रयुक्त उत्तर पुस्तिकाओं की रद्दी हेतु नीलामी निविदा की शर्तें

1. दरें प्रति क्विंटल अंको तथा शब्दों में लिखी जानी चाहिए। इस कार्यालय से क्रय किये गये टेन्डर फार्म के अलावा किसी अन्य पत्रों में अंकित दरें स्वीकार नहीं की जायगी।
2. दरें मुहर बंद लिफाफे में धरोहर राशि रू. 50000 के साथ दिनांक 21/09/2016 को दोपहर 2:00 बजे तक कुलसचिव, सि.का.मु.वि.वि., दुमका के पक्ष में देय बैंक ड्राफ्ट अथवा नकद में जमा करायी जा सकती है। चेक स्वीकार नहीं किये जायेंगे। पूर्व जमा धरोहर राशि यदि कोई हो तो इस निविदा के लिये मान्य नहीं होगी। धरोहर राशि के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जायगा।
3. विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी टेंडर को बिना कोई कारण बताये आंशिक अथवा पूर्ण रूप से निरस्त कर दें अथवा उपयोग में ली गई उत्तर पुस्तिकाओं को बिना कोई कारण बताये पूर्ण अथवा किश्तों में बेचना स्थगित कर दें।
4. विश्वविद्यालय द्वारा दर स्वीकृत किये जाने पर सम्पूर्ण माल कार्य आदेश की तारीख के 15 दिन के अंदर उठाना होगा। इस अवधि में अवकाश के दिन भी शामिल होंगे। निर्धारित अवधि में माल न उठाने पर गोदाम (स्थान) किराया निम्नानुसार वसूली योग्य होगा –

क्र.सं.	विलम्ब	गोदाम किराया
1.	प्रथम सात दिन के विलम्ब पर	रू. 250/– प्रतिदिन
2.	सात दिन से अधिक परन्तु 20 दिन तक के विलम्ब पर	रू. 500/– प्रतिदिन
3.	20 दिन से अधिक विलम्ब पर	रू. 750/– प्रतिदिन

5. जिस निविदादाता की दरें स्वीकार होगी उसको अनुमोदित कुल मूल्य की चौथाई राशि कुलसचिव, सि.का.मु.वि.वि., दुमका के नाम बैंक ड्राफ्ट अथवा नकद प्रतिभूति राशि के रूप में दरें स्वीकृत की सूचना जारी होने की तिथि से सात दिवस में जमा करानी होगी एवं निर्धारित प्रपत्र में 500 रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर करार निष्पादित करना होगा। सफल निविदादाताओं को प्रतिभूति राशि के अतिरिक्त सामग्री उठाते समय प्रत्येक लोट की कीमत विश्वविद्यालय में नगद जमा करानी होगी। कीमत पूर्ण जमा होने पर ही लोट का माल उठा सकेगा। प्रतिभूति राशि का समायोजन माल के मूल्य के पेटे नहीं किया जायेगा तथा प्रतिभूति राशि शर्त संख्या 25 के अनुसार ही लौटाई जायेगी। टेन्डर स्वीकृति के पश्चात् सफल निविदादाता करारनामा निष्पादित करने में विफल रहता है तो इन शर्तों का भंग होना माना जायेगा। ऐसी स्थिति में धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी। तद्पोरान्त अन्य निविदादाता को कार्यादेश देने का अधिकार विश्वविद्यालय को होगा।
6. माल का वजन अनुमानतः है। वह कम या अधिक हो सकता है। माल उठाने एवं तुलवाने आदि का व्यय फर्म को ही वहन करना होगा।
7. निविदा स्वीकृति पर सफल निविदादाता द्वारा निर्धारित अवधि में माल न उठाने पर धरोहर राशि/प्रतिभूति राशि की जब्ती की कार्यवाही की जायेगी।
8. निविदा में दी गयी दरें निविदा खोलने की तिथि से 90 दिन तक विधिमान्य होगी।
9. उपयोग में ली हुई उत्तर पुस्तिकाओं/सामग्री का निरीक्षण इच्छुक निविदादाता किसी भी कार्य दिवस में सहायक कुलसचिव परीक्षा/अनुभागाधिकारी गोपनीय से अनुमति प्राप्त कर विश्वविद्यालय की गोपनीय शाखा में कर सकते हैं।
10. निविदादाता माल (उत्तर पुस्तिकाओं के बंडल, प्रिंटेड मैटर के बंडल तथा अन्य प्रिंटेड मैटर सामग्री) देखकर व माल के वजन का अंदाजा लगा कर टेन्डर दें। समस्त माल जिस स्थिति में जहाँ–जहाँ पर भी है, कार्यालय से पूरा उठाना होगा।
11. निबंधनों तथा शर्तों को भंग करने या संविदा असंतोषप्रद ढंग से पूरा करने पर विश्वविद्यालय द्वारा पूर्णतः/अंशतः प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी। इस संबंध में विश्वविद्यालय विनिश्चय ही अंतिम होगा।
12. सामग्री के लोडिंग/अनलोडिंग की जिम्मेदारी क्रेता फर्म की होगी।
13. कागज की लुगदी बनाने वाले कारखाना रखने वाली फर्म/अधिकृत डीलर को प्राथमिकता दी जायेगी।
14. किसी भी प्रकार की विवादास्पद स्थिति में कुलपति महोदय का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। किसी कानूनी कार्यावाही की स्थिति में क्षेत्राधिकार केवल झारखण्ड दुमका स्थित सक्षम न्यायालय होगा।
15. निविदादाता द्वारा निविदा में जोड़ी गई कोई भी अन्य शर्त मान्य नहीं होगी। सशर्त निविदा स्वीकार नहीं होगी।
16. विक्रय राशि पर बिक्री कर व अधिभार माल उठाने पर नियमानुसार प्रचलित दरों से संबंधित विभाग (सेल टेक्स ऑफिस) को निविदादाता द्वारा उसी दिन जमा करवाकर बिक्री तिथि से सात दिवस में चालान की प्रति विश्वविद्यालय में जमा करानी होगी।
17. समस्त कर यथा वेट या बिक्री कर निविदादाता द्वारा चुकाए जायेंगे तथा विश्वविद्यालय पर किसी प्रकार के कर की देयता नहीं होगी।
18. निविदा उन फर्मों/व्यवसायियों की ही मान्य होगी जो उन वस्तुओं के लिए रजिस्टर्ड/अनुमोदित क्रेता हो, जिसके लिये निविदा दी जा रही है। फर्म के पास आर.एस.डी./सी.एस.टी./टिन नम्बर का होना अनिवार्य है।
19. निविदादाता अपनी निविदा अथवा उसके सारभूत किसी भी भाग को न तो किसी अन्य एजेन्सी को सौंप सकेगा और न किसी को आगे निविदा पर दे सकेगा।
20. राजकीय निगम/कंपनी/उपक्रम/बोर्ड/राजकीय विभाग को धरोहर एवं प्रतिभूति राशि को जमा कराने से छुट प्राप्त है। S.S.L. Units को Preference of industries of Raj Rules 1995 में अंकितानुसार सीमा तक ही छूट देय होगी।
21. निविदादाता द्वारा जमा कराई गई धरोहर राशि असफल निविदादाता का दरें स्वीकृत होने के एक माह के भीतर लौटा दी जायेगी किन्तु सफल निविदादाता की धरोहर राशि प्रतिभूति के एक भाग के रूप में मान लिया जायेगा।

22. निविदादाता को निविदा एवं संविदा की शर्तों एवं उपबंधो की स्वीकृति के प्रतिस्वरूप निविदादाता प्रपत्र एवं निविदा शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ के अंत में हस्ताक्षर करने अनिवार्य हैं।
23. परीक्षा की प्रयुक्त उत्तर पुस्तिकाएँ आदि फर्म के द्वारा पल्प बनवाने हेतु सीधे मील को भेजवानी होगी उत्तर पुस्तिकाओं का कागज गलाकर पल्प में परिणित करना होगा तथा माल उठाने के 15 दिनों में इस आशय का प्रमाण–पत्र देना होगा कि समस्त सामग्री का पल्प मील में बनवा दिया गया है। यदि उत्तर पुस्तिकाएँ बाजार में विक्रय हेतु पाई गई तो संबंधित फर्म के विरूद्ध नियमानुसार अपराधिक/कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
24. फर्म की बिक्री कर शोधन प्रमाण–पत्र संबंधित सर्किल अधिकारी का निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा अन्यथा निविदा प्राप्त होने पर वह अस्वीकृत की जा सकती है।
25. सफल निविदादाता की प्रतिभूति राशि संविदा के पूर्ण होने के पश्चात् शर्त सं. 23 के अनुसार प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर एक माह में लौटा दी जायेगी। ऐसी प्रतिभूति राशि पर विश्विद्यालय द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।
26. नेगोशियेशन्स के अंतर्गत यदि निविदादाता मूल निविदा में अंकित दरों से कम दरें अंकित करते हैं अथव कोई नई शर्त रखते हैं तो समिति को यह अधिकार होगा कि वह मूल निविदा की दरों को स्वीकार करे। यदि नेगोशियेशन्स में मूल निविदा में अंकित दरों से अधिक दरें आती है तो समिति को अधिक दरों को स्वीकार करने के लिये अधिकृत होगी।
27. निविदादाता को अपने कार्यालय व गोदाम के भू–गृह आदि का पूरा पता अनिवार्यतः देना होगा। ताकि वहाँ जाकर निरीक्षण किया जा सके। जिन व्यापारियों ने कारोबार नया ही शुरू किया हो, उनके लिये अपने बैकरों का परिचय पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
28. समस्त उत्तर पुस्तिकाओं को उठाने के बाद कोई उत्तर पुस्तिका उठाना शेष नहीं है, इस आशय का प्रमाण–पत्र परीक्षा नियंत्रक से प्राप्त करने पर ही कार्य पूर्ण माना जायेगा।
29. विक्रय की गयी उत्तर पुस्तिकाओं का परिवहन अनुमोदित क्रेता को पूर्ण सावधानी के साथ इस प्रकार करना होगा कि समस्त उत्तर पुस्तिकाएँ विश्वविद्यालय परिसर से उठाये जाने के बाद सीधे मील में ही पहूँचे। साथ ही उत्तर पुस्तिकाओं को मजबूत त्रिपाल आदि से चारों तरफ से इस ढंग से मजबूती से कवर्ड करना होगा ताकि परिवहन के दौरान मार्ग में कहीं पर भी उत्तर पुस्तिका/उत्तर पुस्तिकाएँ गिरने नहीं पावें। यदि मार्ग में कहीं पर भी उत्तर पुस्तिका/उत्तर पुस्तिकाओं के गिरने की रिपोर्ट/जानकारी विश्वविद्यालय को आता/होती है तो निविदादाता के विरूद्ध कानूनी/अन्य आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी, जिसके लिए निविदादाता स्वयं ही उत्तरदायी होगा।
30. सफल निविदादाता को रद्दी का तौल विश्वविद्यालय द्वारा गठित तौल समिति के सदस्यों की उपस्थिति में विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार धर्मकाँटे पर स्वयं के खर्चे पर करवाना होगा। प्रत्येक बार तौल के आधार पर कुल राशि उसी दिन विश्वविद्यालय में जमा करानी होगी। आवश्यकता हुई तो रद्दी का तौल दो काँटों पर भी करवाया जा सकता है ऐसी स्थिति में अधिक तौल/वजन वाले काँटे का वजन ही मान्य होगा।
31. किसी भी शर्त में पूर्ण अथवा आंशिक रूप से शिथिलता प्रदान करने का अधिकार कुलपति में निहित होगा।
32. अन्य शर्तें/सुसंगत प्रावधान विश्वविद्यालय में अंगीकृत बजट, वित्तीय एवं लेखा नियम, 1997 में यथा वर्णितानुसार लागू होंगे।

उक्त शर्तों को मैंने भलीभाँति पढ़ लिया है और मैं उक्त शर्तों का पालन करने हेतु पूर्णतया सहमत हूँ।

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मोहर

पूरा पता .....
.....
.....
.....
दूरभाष नं. .....
मोबाइल नं. .....

सिदो–कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका

करार का प्रारूप

1. यह करार आज दिनांक ..... को एक ओर ..... (जिसे इसमें इसके पश्चात् अनुमोदित क्रेता कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति में जहाँ संदर्भ में अनुकूल हो, उसके वारिस, उत्तराधिकारी निष्पादक तथा प्रशासक सम्मिलित समझे जायेंगे, दूसरी ओर सिदो–कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका के कुलपति (जिन्हें इसमें इनके पश्चात् विश्वविद्यालय कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति में जहाँ संदर्भ के अनुकूल हो, उनके उत्तराधिकारी तथा अभिहस्ताकिततीं सम्मिलित समझे जायेंगे, के बीच सम्पन्न किया गया है।
2. चूँकि अनुमोदित क्रेता ..... सिदो–कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका को उनके मुख्यालय पर इसके संलग्न निविदा प्रपत्रों में उल्लेखित प्रयोग में ली गयी उत्तर पुस्तिकाओं के पत्रों तथा संविदा के प्रतिबंधों में दी गई रीति के अनुसार उल्लेखित दरों में क्रय करने के लिए विश्वविद्यालय के साथ सहमत हो गया है।
3. चूँकि अनुमोदित क्रेता ने ..... की रकम नकद, रसीद संख्या ..... दिनांक ..... डिमांड ड्राफ्ट संख्या ..... दिनांक ..... द्वारा उपयुक्त करार के यथावत् पालन करने के लिए प्रतिभूति के रूप में जमा करा दी है।

अब यह लेख निम्नांकित का साक्ष्य है –

1. सिदो–कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका द्वारा परीक्षा नियंत्रक के जरिए इसके साथ संलग्न निविदा प्रपत्रों में उल्लेखित दरों से किए जाने वाले सदायों में अनुमोदित क्रेता ..... (फर्म का नाम) संलग्न निविदा प्रपत्रों में उल्लेखित प्रयोग में ली गई उत्तर पुस्तिकाओं संबंधी संविदा तथा निविदा की शर्तों एवं प्रतिबंधों में बतलाई गई रीति से यथावत् रूप से क्रय करेगा।
2. निविदा और संविदा की शर्तें जो निविदा सूचना ..... दिनांक ..... के साथ संलग्न थी और इस करार के साथ भी संलग्न है, इस करार का अंग समझी जायेगी और इस करार को निष्पादित करने वाले पक्ष इनसे बाध्य होंगे।
3. सिदो–कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, एतद् द्वारा यह करार है कि यदि अनुमोदित क्रेता उपर्युक्त रीति से उक्त शर्तों तथा प्रतिबंधों को मानेगा और उनका पालन करेगा तो सिदो–कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका के जरिए अनुमोदित क्रेता को उक्त प्रतिबंधों में उल्लेखित रीति से तथा समय पर प्रत्येक सामान के लिए देय रकम का सदाय करेगी या करवायेगी।
4. इस करार की ओर या कार्यादेश की तारीख से 15 दिन की अवधि (अवकाश के दिनों सहित) के भीतर सभी प्रयोग में ली गयी उत्तर पुस्तिकाएँ उठानी होगी।
5. यदि निविदाकार करार में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर माल नहीं उठाता है तो विक्रेता विश्वविद्यालय अपने विवेकानुसार माल उठाने की अवधि निविदाकार से करारानुसार परिनिर्धारित नुकसानी तो शस्ति नहीं होगी की वसूली के अध्ययाधीन बढ़ा सकेगा। यह वसूली निम्नानुसार होगी –

क्र.सं.	विलंब	गोदाम किराया
1.	प्रथम सात दिन की देरी पर	रू. 250/– प्रतिदिन
2.	द्वितीय सात दिन की देरी पर	रू. 500/– प्रतिदिन
3.	तृतीय सात दिन की देरी पर	रू. 750/– प्रतिदिन

6. सिदो–कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका एतद् द्वारा यह करार करता है कि यदि अनुमोदित क्रेता उपर्युक्त रीति से उक्त शर्तों तथा प्रतिबंधों को मानेगा और उनका पालन करेगा तो सिदो–कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका कुलसचिव के जरिए अनुमोदित क्रेता को क्रय किए गए सामान की डिलीवरी निम्न प्रकार से करेगा। विक्रय की जाने वाली सामग्री की डिलीवरी यथा भरे हुए ट्रक/ट्रकों के सम्पूर्ण माल की अदायगी नकद/ड्राफ्ट द्वारा कार्यालय में जमा कराने पर ही दी जायेगी। क्रेता द्वारा सम्पूर्ण माल उठाने के पश्चात् ही उसके लिखित प्रार्थना–पत्र (वांछित प्रमाण–पत्रों सहित) प्रस्तुत करने पर प्रतिभूति राशि लौटा दी जायेगी।
7. इस करार के संबंध में उत्पन्न होने वाले समस्त विवाद तथा इस करार के निर्वचन संबंधी समस्त प्रश्न माननीय कुलपति द्वारा विनिश्चय किये जायेंगे तथा विश्वविद्यालय का विनिश्चय अंतिम होगा।

जिसके साक्ष्य में दोनों पक्षों ने दिनांक ..... को अपना हस्ताक्षर किए हैं।

अनुमोदित क्रेता के हस्ताक्षर
दिनांक –
साक्षी संख्या – 1
साक्षी संख्या – 2

कुलसचिव का हस्ताक्षर
दिनांक –
साक्षी संख्या – 1
साक्षी संख्या – 2